

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-13/2013-

/कृ०, पटना, दिनांक

अगस्त, 2015.

प्रेषक,

बी० कार्तिकेय भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री सुनील कुमार गुप्ता,
मेसर्स वन्या एग्रो,
H/O श्री अरुण कुमार,
रुकमणी भवन, छोटी पहाड़ी,
अगमकुआँ रोड, पटना-7

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 77 दिनांक 06.03.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2016 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के तहत निम्नांकित कम्पनियों के कीटनाशियों का कीटनाशी बिक्री/भण्डारण अनुज्ञप्ति संख्या 77 दिनांक 06.03.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2016 में इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	कीटनाशी का नाम
1	मेसर्स मारगोसा बायोग्रो (इण्डिया) प्रा० लि०, बड़ोदरा, गुजरात	Buprofezin 25% SC
2		Carbendazim 50% WP
3		Chlorantraniliprole 18.5% w/w SC
4		Chlorpyrifos 50%+Cypermethrin 5% EC
5		Chlorpyrifos 50% EC
6		Gibberellic acid .0186% SP
7		Hexaconazole 5% EC
8		Lambdacyhalothrin 5% EC
9	मेसर्स सोलर क्रॉप साईंस, जी०आई०डी०सी०, कलावद, मेटोडा, राजकोट, गुजरात।	2,4-D Amine Salt 58% SL
10		Acetamiprid 20% SP
11		Glyphosate 41% SL
12		Hexaconazole 5% SC
13		Imidacloprid 17.8% SL
14		Imidacloprid 30.5% SC
15		Indoxacarb 14.5% SC
16		Mancozeb 75% WP
17		Monocrotophos 36% SL
18		Pendimethalin 30% EC
19		Profenofos 40% +Cypermethrin 4% EC
20		Profenophos 50% EC
21		Thiamethoxam 25% WG
22		Spinosad 45% SC
23		Imidacloprid 70% WS
24		Chlorpyrifos 50% EC
25		Acephate 75% SP
26		Captan 70%+Hexaconazole 5% WP
27		Sulphur 80% WDG
28		Imidacloprid 70% WG
29		Metsulfuron Methyl 20% WP
30		Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG
31		Paraquat Dichloride 24% SL
32		Fipronil 5% SC
33		Metalaxyl 35% WS

34	Clodinafop Propargyl 15% WP
35	Oxyflourfen 23.5% EC
36	Tricyclazole 75% WP
37	Dichlorvos 76% EC
38	Gibberellic Acid 0.001% L
39	Bifenthrin 10% EC
40	Carbendazim 12%+Mancozeb 63% WP
41	Phosphamidon 40% SL
42	Dimethoate 30% EC
43	Carbosulfan 25% EC
44	Copper Oxychloride 50% WP
45	Deltamethrin 1%+Triazophos 35% EC
46	Ethion 40%+Cypermethrin 5% EC
47	Cypermethrin 25%EC
48	Lambdacyhalothrin 5% EC
49	Atrazine 50% WP
50	Fenvalerate 20% EC
51	Cartap Hydrochloride 50% SP
52	Fenoxaprop-p- Ethyl 9.3% EC
53	Acephate 50%+Imidacloprid 1.8% SP
54	Malathion 5% DP
55	Emamectin Benzoate 5% SG

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स वन्या एग्रो, H/O श्री. अरुण कुमार, रूकमणी भवन, छोटी पहाड़ी, अगमकुआँ रोड, पटना-7

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(बी0 कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

4263

/कृ0, पटना, दिनांक 31 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।